कोविड–19 के कारण लॉकडाउन (बन्दी) अवधि के दौरान राजस्थान और हरियाणा के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश एवं सलाह

1. राजस्थान

- पककर तैयार फसलों की कटाई करना और सुरक्षित स्थानों पर भण्डारण करना आवश्यक है।
- पशुशाला को यथासंभव सूखा रखना चाहिए। बकरी और भेड़ को सूखे और छायादार स्थान में रखें और दिन में तीन बार हरा चारा, ताजा और साफ पानी दें। पशुओं और मुर्गीघर साफ और हवादार होना चाहिए और इनको एक दिन में 3–4 बार स्वच्छ पेयजल प्रदान करना आवश्यक है।
- कटाई के बाद धनिया की फसल को सूखाना आवश्यक है।
- हवा से गिरे हुए गेहूं की पारंपरिक तरीके (हाथ से) से कटाई करना आवश्यक है।
- लहसुन की फसल जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक बल्ब बनना प्रारंभ हो चुके है उनमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है।
- बेहतर खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए सरसों की कटाई वाले खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। कीट नियंत्रण के लिए अमरूद के बागों में जुताई करना उपयोगी होगी।
- फसलों की कटाई यथासंभव मशीन संचालित उपकरणों द्वारा की जानी चाहिए। यदि किसानों द्वारा हाथ के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो उपकरणों को दिन में कम से कम 3 बार साबुन के पानी से साफ करना चाहिए।
- फसलों की कटाई करते समय सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना चाहिए। फसल काटते समय, खाना खाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कम से कम 5–6 फीट की दूरी बनाए रखना आवश्यक है।
- खाने के बर्तनों को अलग रखें और उपयोग के बाद साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए।
- एक व्यक्ति उपयोग किए गए उपकरणों का उपयोग दूसरे व्यक्ति द्वारा कभी नहीं करना चाहिए। सभी को अपने–अपने उपकरण का उपयोग करना चाहिए।
- कटाई के दौरान बीच–बीच में अपने हाथों को साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करते रहना चाहिए।
- कटाई के दौरान उपयोग किए जाने वाले कपड़े हर रोज धोने चाहिए।
- कटाई के दौरान सभी व्यक्तियों को पानी की अपनी अलग–अलग बोतल रखनी चाहिए और सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द आदि के लक्षण हैं, तो उसे कटाई के काम से दूर रखें और तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करें। खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी और साबुन उपलब्ध रखें।

2. हरियाणा

दिशानिर्देश : फ.न. 3995-4016/JD(AC)

- किसानों को फसल कटाई और बुवाई के कृषि कार्यों के लिए किसानों और कृषि श्रमिकों की प्रतिबंध मुक्त आवाजाही की अनुमति प्रदान की गई है।
- कटाई मशीनरी, परिवहन वाहनों और अन्य मशीनरी के आवागमन की सुविधा की अनुमति दी गयी है।
- सहकारी और निजी क्षेत्र के कृषि मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों के संचालन की अनुमति है।
- गेहूं की आवक और एमएसपी पर एजेंसियों द्वारा खरीदने के लिए शीघ्रता से मार्केटिंग यार्ड तैयार करना। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक की बिक्री की अनुमति प्रदान की गयी है।

सलाह

- किसानों का राज्य में खेती की जाने वाली प्रमुख फसलों गेहूं, सरसों, चना और सब्जी की कटाई, थ्रेसिंग, भंडारण और विपणन के संबंध में कृषि क्रियाओं के दौरान सुरक्षा उपाय और सावधानियां रखने की सलाह दी गई हैं।
- 14 अप्रैल के बाद गेहूं कटाई के लिए लगभग तैयार हो जाएगा। मार्च के दौरान बेमौसम बारिश के कारण, गेहूं की कटाई में देरी हो रही है और 5 अप्रैल के बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। 15 से 30 अप्रैल के बीच अधिकांश कटाई हो जाएगी। यदि गेहूं की कटाई में कम्बाइन की अनुपलब्धता की कमी के कारण देरी हो जाती है तो अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि परिपक्वता पर गेहूं की फसल में आग लगने की संभावना रहती है।
- दक्षिण–पश्चिम हरियाणा में जौ की कटाई लगभग 70% पूर्ण हो चुकी है और शेष भी शीघ्र ही हो जाएगी।
- सरसों दूसरी महत्वपूर्ण रबी फसल है जिसे बड़े पैमाने पर पारंपरिक तरीके से काटा जा चुका है परन्तु अभी भी बड़े पैमाने पर काटना बाकी है।
- बारिश के कारण चना और मसूर की कटाई में देरी हो रही है और अप्रैल के पहले पखवाड़े में पककर तैया हो जायेगी कटाई करते समय उचित दूरी बनाये रखना व मास्क लगाना आवश्यक है।
- सब्जी की फसलों में टमाटर, फूलगोभी, ककड़ी, हरा धनिया, पालक इत्यादि फसल कटाई की अवस्था में हैं और इनकी बाजार में आपूर्ति की जा रही है।
- सब्जियों की उचित देखभाल जरूरी है तथा कीटों के प्रकोप से बचाव हेतु प्रबंधन आवश्यक है।